भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 26**

30.11.2015 को उत्तर के लिए

**वर्ष 2030 तक उत्सर्जन स्तर को कम करने का लक्ष्य**

26. **श्री सी. एम. रमेश:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-से कारण हैं कि भारत ने 2030 तक 35 प्रतिशत उत्सर्जन कम करने की शपथ ली है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत को अब से लेकर 2030 तक उपर्युक्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार संसाधन जुटाने के लिए किस तरह से योजना बना रही है; और

(घ) कौन-कौन से अन्य देशों ने भी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की शपथ ली है, तत्संबंधी विकसित और विकासशील देश-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) का एक पक्षकार है । यूएनएफसीसीसी के सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जलवायु परिवर्तन के निराकरण के प्रति अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभिप्रेत अंशदान (आईएनडीसी) प्रस्तुत करें । तदनुसार, भारत ने अपने आईएनडीसी प्रस्तुत किए हैं जिसमें वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना वर्ष 2030 तक इसकी जीडीपी की कार्बन तीव्रता में 33 से 35 प्रतिशत की कमी की परिकल्पना की गई है ।

(ख) और (ग) प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, अब और वर्ष 2030 के बीच अर्थात 15 वर्षों की अवधि में भारत के जलवायु परिवर्तन कार्यों को पूरा करने के लिए लगभग 2.5 ट्रिलिपन अमेरिकी डालर अपेक्षित होंगे, जिसे घरेलू संसाधनों और जलवायु वित्त के लिए 2020 तक प्रत्येक वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डालर का जुटाव करने संबंधी विकसित देशों द्वारा की गई वित्तीय वचनबद्धताओं को बढ़ाने के द्वारा पूरा किया जाएगा।

(घ) ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों को कम करने के लिए अपना आईएनडीसी प्रस्तुत करने वाले देशों की सूची अनुबंध में दी गई है ।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

**ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों को कम करने के लिए आईएनडीसी प्रस्तुत करने वाले देशों के नाम (26 नवम्बर, 2015 तक)**

1. इरान,
2. कतर,
3. कुक द्वीपसमूह,
4. सेंट लूसिया,
5. सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस,
6. बहामा,
7. सोमालिया,
8. नौरू,
9. अल साल्वाडोर,
10. मिस्र,
11. इराक,
12. पाकिस्तान,
13. सूडान,
14. सऊदी अरब,
15. फ़िजी,
16. बुरुंडी,
17. युगांडा,
18. जिबूती,
19. बुर्किना फासो,
20. श्री लंका,
21. संयुक्त अरब अमीरात,
22. टोगो,
23. त्रिनिदाद और टोबैगो,
24. नाइजर,
25. गिनी,
26. ओमान,
27. अंतिगुया और बार्बूडा,
28. अफगानिस्तान,
29. इक्वाडोर,
30. बोलीविया,
31. चिली,
32. बोस्निया हर्जेगोविना,
33. मलावी,
34. अर्जेंटीना,
35. मोजाम्बिक,
36. इंडिया,
37. बेलीज,
38. अल्जीरिया,
39. पराग्वे,
40. बोत्सवाना,
41. चाड,
42. सियरा लियोन, होंडुरास,
43. थाईलैंड,
44. लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
45. फिलीपींस,
46. कैमरून,
47. सैन मारिनो,
48. तुर्की,
49. पापुआ न्यू गिनी,
50. गाम्बिया,
51. लाइबेरिया,
52. तजाकिस्तान,
53. लेसोथो,
54. रवांडा,
55. कंबोडिया,
56. भूटान,
57. कोस्टा रिका,
58. जिम्बाब्वे,
59. तुर्कमेनिस्तान,
60. सोलोमन द्वीप,
61. जॉर्डन,
62. काबो वर्डे,
63. ग्रेनेडा,
64. बारबाडोस,
65. वियतनाम,
66. मॉरिटानिया,
67. गिनी बिसाऊ
68. कोटे डी आइवर,
69. बेनिन,
70. लेबनान,
71. यूक्रेन,
72. हैती,
73. साओ टोमे और प्रिंसिपे,
74. ग्वाटेमाला,
75. इसराइल,
76. डोमिनिका,
77. कांगो,
78. अज़रबैजान,
79. तंजानिया संयुक्त गणराज्य,
80. स्वाजीलैंड,
81. जाम्बिया,
82. नामीबिया,
83. उरुग्वे,
84. किर्गिज़स्तान,
85. आर्मीनिया,
86. माली,
87. वानुअतु,
88. पेरू,
89. कजाकिस्तान,
90. मालदीव,
91. म्यांमार,
92. मॉरीशस,
93. ब्राजील,
94. केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य,
95. सेनेगल,
96. किरिबाती,
97. मोल्दोवा के गणराज्य,
98. दक्षिण अफ्रीका,
99. बेलारूस,
100. जॉर्जिया,
101. सेशल्स,
102. बांग्लादेश,
103. इरिट्रिया,
104. मंगोलिया,
105. इंडोनेशिया,
106. मेडागास्कर,
107. अल्बानिया,
108. घाना,
109. मोंटेनेग्रो,
110. भूमध्यवर्ती गिनी,
111. कोमोरोस,
112. ट्यूनीशिया,
113. कोलम्बिया,
114. डोमिनिकन गणराज्य,
115. डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द कॉंगो,
116. ऑस्ट्रेलिया,
117. मैसेडोनिया के पूर्व यूगोस्लाव गणराज्य,
118. मोनाको,
119. केन्या,
120. मार्शल द्वीपसमूह,
121. जापान,
122. सिंगापुर,
123. कोरिया के गणराज्य,
124. चीन,
125. आइसलैंड,
126. सर्बिया,
127. इथियोपिया की इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य,
128. मोरक्को,
129. कनाडा,
130. अंडोरा,
131. लिकटेंस्टीन,
132. रूस,
133. गैबॉन,
134. संयुक्त राज्य अमरीका,
135. मेक्सिको,
136. नॉर्वे,
137. यूरोपीय संघ और उसके सदस्य राज्यों और की ओर से लातविया और यूरोपीय आयोग
138. स्विट्जरलैंड